न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 148 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 227

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. मामराज पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. राजपैरोकार, प्रार्थी
2. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :05.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम ढाबां में खसरा सं. 63 में कुल 63.14 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त रकबा चक 3 एनएम के प.नं. 44 / 51 कि.नं. 19 ता 25 कुल 7 बीघा रकबा सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित 0.885 है. भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

   इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। साथ ही याचिका सं. 11153 / 2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़ नाला, तालाब नदी के कैचमेन्ट ऐरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना हैं। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132 / 11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज—6 / 2001 पार्ट / 5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज—7 / 2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

   उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) व 16(6) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 3 एनएम के प.नं. 44 / 51 मु.नं. 52 कि.नं. 21 / .176, 22 / .176, 23 / .177, 24 / .178, 25 / .178 कुल 0.885है. भूमि अप्रार्थी मामराज पुत्र किशनाराम जाति जाट सा. नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़ को सहायक कलैक्टर अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 30.03.1990 को विशेष आवंटन श्रेणी में आवंटित की गई थी जो वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थी स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज हैं। अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटन निरस्त कर भूमि गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि चक 3 एनएम के पत्थर सं. 44 / 51 कि.नं. 19 ता 25 कुल 7 बीघा भूमि खसरा सं. 63 के चकबंदी में ली गई है ऐसा दस्तावेज प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित हो अथवा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गई हो ऐसा प्रार्थी ने कोई

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि उक्त भूमि का आवंटन विशेष आवंटन के रूप में आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1990 में किया गया था। आवंटन के समय राजस्व अभिलेख में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि भूमि जोहड़ के रूप में दर्ज हो। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन से पूर्व समस्त तथ्यों की जांच कर ही आवंटन किया गया था। आवंटन के समय क्षेत्र में नहर का निर्माण हो रखा था। जोहड पायतन के लिए उक्त भूमि की कभी आवश्यक्ता नहीं रही है ना ही नाला अथवा नदी के केचमेंट ऐरिये की परिधि में उक्त भूमि आती है। भूमि विशेष आवंटन के समय काश्त योग्य भूमि थी। 1990 में भूमि का आवंटन कर तत्पश्चात खातेदारी सनद जारी की गई। खातेदारी सनद का नामातंरण राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। भूमि का आवंटन किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16क के प्रावधान यहां लागू नहीं होते है। यदि आवंटन गलत माना जाता है तो अपील के प्रावधान है। राजस्व रिकार्ड उपरोक्त 0.885है. भूमि अकेले मामराज पुत्र किशनाराम के नाम से अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड से हटकर केवल अप्रार्थी को उसका खातेदार होना बताया है। खातेदारी भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। कि.नं. 19, 20 राजस्व रिकार्ड में ललिता देवी पत्नी लाधुराम के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। कि.नं. 21 ता 25 अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से कुछ भूमि सड़क के कटी हुई है। तथा सड़क संबंधित विभाग को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा केचमेंट ऐरिया को सुरक्षित व सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया है। इस भूमि का उपयोग कभी जोहड़ पायतन के लिए हुआ ही नहीं तो ऐसी भूमि को जोहड़ पायतन के लिए आरक्षित भूमि नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी को निर्धारित समयावधि में अपील करनी चाहिए थी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मत व्यक्त किया है कि जिस गांव में वाटरवर्क्स की डिग्गी बनी हुई है वहां वह भूमि केचमेंट ऐरिया की परिधि में नहीं आती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी चक 3 एनएम आबादी में वाटरवर्क्स बना हुआ है जिसका पानी अलग से बंधा हुआ है तथा ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बरसात के पानी के ईक्कठा कर उसका जलस्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। परन्तु प्रकरण में बताई गई भूमि में ना ही कभी जोहड़ पायतन था व ना ही कभी जोहड़ पायतन की आवश्यक्ता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेंस खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. राजपैरोकार एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस होने का कथन किया और रेफरेंस खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

5. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

6. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची सं. 4 आदि के अनुसार भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त भूमि कभी जोहड़ के रूप में उपयोग में नहीं ली गयी परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतन दर्ज थी जिसका किसी को आवंटन किया है तो वो अवैध है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़